भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1932**

जिसका उत्तर 30.07.2026 को दिया जाना है

**वाहनों में अवैध बदलाव करना**

1932. डॉ. आनन्द कुमार गोंड:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक निजी वाहनों में निर्धारित मानकों का उल्लंघन करते हुए बड़े आकार के पहिए, सस्पेंशन प्रणाली और बंपर का बदलना और अन्य संरचनात्मक बदलाव किए जा रहे हैं जिससे वाहन की स्थिरता, सुरक्षा और सड़क योग्यता प्रभावित हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार के अनधिकृत वाहन बदलाव के कारण होने वाली दुर्घटनाओं और सुरक्षा जोखिमों का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे अवैध बदलाव करने वाले अनधिकृत गैरेज, कार्यशालाओं और प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई विशिष्ट दिशानिर्देश या प्रवर्तन तंत्र विकसित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वाहनों में अवैध बदलावों की प्रभावी जांच करने, नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने और निर्धारित नियमों और मानकों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) मोटर यान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के प्रावधानों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के एकमात्र अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्य प्रवर्तन प्राधिकरणों को केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 और मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार बिना इजाज़त बदलाव किए गए वाहनों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 52 मोटर वाहनों में बदलाव के लिए आवश्यकताओं के बारे में बताती है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देश शामिल हैं।

सरकार ने वाहनों के वैज्ञानिक और पारदर्शी फिटनेस परीक्षण के लिए केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 175 से 185 के माध्यम से स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) व्यवस्था शुरू की है। इस

संरचना के तहत, वाहनों को मोटर यान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के प्रावधानों का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ब्रेकिंग कार्य निष्पादन(परफोरमेंस), स्टीयरिंग, सस्पेंशन, लाईटनिंग, उत्सर्जन और अन्य निर्धारित मानकों जैसे सुरक्षा-महत्वपूर्ण मापदंडों के अधीन स्वचालित निरीक्षण किया जाता है।

सीएमवीआर, 1989 की धारा 112 में निर्दिष्ट किया गया है कि धारा 52 के अनुसार परिवर्तन या तो मूल उपकरण निर्माता(ओईएम), या वाहन निर्माता के डीलर, या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कार्यशाला या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सर्विस स्टेशन द्वारा किया जाएगा।

इसके अलावा, केंद्रीय मोटर यान नियम (सीएमवीआर), 1989 के नियम 126 में यह अनिवार्य है कि प्रत्येक प्रोटोटाइप मोटर वाहन को निर्धारित सुरक्षा और उत्सर्जन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उसमें निर्दिष्ट अधिसूचित परीक्षण एजेंसियों द्वारा टाइप अनुमोदन और परीक्षण के अधीन किया जाएगा। अनधिकृत संशोधनों से वाहन गैर-अनुपालन हो सकता है। इसके अलावा, मोटर वाहनों का सीएमवीआर, 1989 के प्रावधानों के अनुसार उत्पादन के अनुरूप परीक्षण किया जाता है।

******